एवं इस पर भी तथा परिपक्वता की राशि पर भी आयकर में छूट है।

सुकन्या समृद्धि योजना की प्रमुख विशेषताएँ एक नजर में –

1. यह एक लघु बचत स्कीम है।
2. किसी भी कन्या के माता पिता या वैधानिक संरक्षक किसी भी पोस्ट आपिस या चुनींदा वाणिज्कि बैंक में खाता खुलवा सकता है। इसमें कन्या खाताधारक (Account holder) एवं संरक्षक जमाकर्ता (Depositor) होता है।
3. 10 वर्ष या इससे कम उम्र की कन्या के मां बाप या वैधानिक संरक्षक कन्या के नाम से खाता खुलवा सकते हैं।
4. खाता खुलवाते समय कन्या का जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र (आई.डी.प्रूफ) एवं निवास स्थान प्रभाण पत्र आवश्यक होता है।
5. दो पुत्रियों की स्थिति में दो खाते खुलवाये जा सकते हैं परन्तु निवेश 1.5 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो सकता।
6. इसमें जमा राशि पर 9.1 प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज मिलती है जो पी.पी.एफ. पर देय ब्याज दर से ज्यादा है। यह ब्याज दर फिक्स नहीं है। अन्य अल्पबचत योजनाओं की तरह इस योजना पर भी ब्याज दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रिवाइज हो सकती है।
7. खाता खुलवाने से 21 वर्ष पूर्ण होने पर स्कीम परिपक्व हो जाती है।
8. इस स्कीम में केवल 14वर्ष तक ही राशि जमा करानी पडती है। जबकि शेष 7 वर्ष तक खाते में ब्याज अर्जित होती रहती है। परन्तु इस सात वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष 1000 रू.जमा कराने पडते हैं ताकि खाता निष्क्रिय नहीं हो जावे।
9. कन्या के 18 वर्ष की होने पर एवं शादी होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत आहरण किया जा सकता है।
10. कन्या की मृत्यु होने पर खाता बन्दकर दिया जाता है तथा धनराशि खाताधारक के अभिभावकों

बेटी बचाओं, बेटी पढाओं, आंमेयान के मुख्य लक्ष्य एवं सरोकार :–

इस प्रभावकारी योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं–

1. कन्याभ्रूण हत्या निषेध, कन्या वध निषेध के कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू कर कन्या जनसंख्या में वृद्धि करना।
2. कन्याओं की शिक्षा एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
3. लडकियों के व्यक्तिगत एवं पेशेवर विकास पर जोर देना।
4. महिला सशक्तीकरण हेतु जन कल्याणकारी योजना का प्रभावी कार्यान्वयन एवं कन्या संख्या बढाने, सुरक्षा, शिक्षा हेतु समाज में जागरूकता पैदा करना।
5. लडकियों और उनके अभिभावकों को आर्थिक रूप से सहायता करना।

क्रियान्विति उपागम (Approach) – इस योजना को एक राष्ट्रीय अभियान (Drive) के रूप में भारत के सभी राज्यों एवं सभी केन्द्र प्रशासित राज्यों में लागू किया गया है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से देश के 100 चुनींदा जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। ये चयनित 100 जिले ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात बहुत खराब है अर्थात् जहाँ नारियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। इनमें अकेले हरियाणा जिले के 12 जिले शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना में 100 करोड रूपये की शुरूआती पूँजी की व्यवस्था की गई है।

सुकन्या समृद्धि योजना– 22 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि खाता जारी कर इस योजना की शुरूआत की। कन्या के बेहतर लालन पालन व बेहतर शिक्षा हेतु तथा उसके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना में इनकमटैक्स की धारा 80सी के अन्तर्गत इनकमटैक्स में छूट है